

20/10/21

SDO (गुडामालाना)  
 पञ्जावली गाऊ कुशासन गावो के सौ. कर्मिण  
 सिविल गण निचायत हुक्यालय कणारिका पेस  
 हुये। वकील वाडीगण मण पदकमान उपस्थित।  
 वकील वाडीगण क वाडीगण एव प्रतिकाई (ड-०)  
 द्वारा लिखिल रात्रीगण पेस कर वाडीगण  
 क प्रतिकाई (ड-०) के विचारित गारणी का  
 1/3-1/3 हिस्से मे खातेसारी कोषित किसे  
 जाने का विवेक किता। लएडीलसिए गुडामालाना  
 के मुक्ति प्रेषक होने क प्रतिकाई (ड-०) के  
 सिविल कणारिका के साखनव मे सिदीर  
 ली गयी। मुक्ति कारक लएडीलसिए गुडामालाना  
 ने कपनी सिदीर के विचारित मुक्ति प्रेषक  
 होने क वाडीगण प्रतिकाई के जामना पुत्र  
 होने वक्य प्रतिकाई ०१ के कोष हुये गयी।  
 होने का कथन किता। होने वकील

एडीगण  
मो डन २१३



मु.  
१५/११/२१



वादीगण की एक हुकी एवं पक्षधरों  
 की मजबूत काम सुका गया। पत्रवाली  
 क पत्रवाली पर उपलब्ध राशियाँ देकर  
 है यह पुष्टि होती है कि सिविल  
 जूरी वादीगण व प्रतिवादी 01 श्री पेंसुक  
 कारनी है यदि पेंसुक को है वादीगण  
 का हुक्म यदि है जमाने के ही एक सिविल  
 जिरिद है। यदि प्रतिवादी 01 श्री पेंसुक  
 लिखित राशीगण जल्लु कर मजबूत  
 वादीगण की खातेदार घोषित करने की  
 कदमाली भी है तो ऐसी स्थिति है वादीगण  
 का वास्तव स्वीकार किया जाकर होगा।  
 नेहरो की दली खुदे के खेत खानस नखर  
 01 रकवा 16.1146 है एवं जल नेहरो का क्षेत्र  
 के खेत ख.नं. 2721, 2725 रकवा (अमर):  
 6.3778, 12.7800 है भी यदि है वादीगण व  
 प्रतिवादी केका 01 प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से  
 का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है।  
 इसी प्रकार डिप्टी जमी जारी है। पत्रवाली  
 निर्दिष्ट सुकार होकर दारिद्वर इफर है।  
 निर्दिष्ट काल प्रशासन गाँव के है।  
 मजबूत कोई केस गाँव है न्यायत इस्लामत  
 ऊपरलिखित है सुले न्यायालय मजबूत सुकाया

जमा / पुष्पि  
 सहायक कलेक्टर  
 SDO (गुडामालानी)

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रमोद कुमार , एसडीएम, गुड़ामालानी

उनवान :

वादीगण

1. हनुमानराम पुत्र खेमराम
  2. मोहनराम पुत्र खेमराम
- जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

प्रतिवादीगण

1. खेमराम पुत्र मूलाराम  
जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुधमा ग्रामीण बैंक शाखा होड़ू
3. तहसीलदार गुड़ामालानी

दावा बाबत 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 96/2021

निर्णय दिनांक :- 20.10.2021 (केम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय अणखिया)

वादीगण की ओर से वादीगण स्वयं व उनके अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 01 खेमराम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.10.2021 को श्री प्रमोद कुमार एसडीएम, गुड़ामालानी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादग्रस्त आराजी सरजद मौजा नेहरों की ढाणी खुर्द के खेत खसरा नम्बर 4/1 रकबा 16.1146 है0 एवं ग्राम नेहरों का बेरा के खेत खसरा नम्बर 272/1, 272/5 रकबा कमशः 6.3778, 12.7800 है0 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( प्रमोद कुमार )

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर , गुड़ामालानी

दिनांक : 20/10/21

क्रमांक: वाचक/2021/910

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।

( प्रमोद कुमार )

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर , गुड़ामालानी